न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
विविध प्रकरण संख्या 01 / 2023(GCMS No. : 2023/348)

1. **गणेशदास** पुत्र भीख दास जाति बैरागी निवासी चक 1 बी.पी.एस.एम. हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. **रामदयाल पुत्र लेखराम जाति बैरागी निवासी चक** चक 1 बी.पी.एस.एम. हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. मलदास पुत्र भीखदास जाति बैरागी निवासी चक 1 बी.पी.एस.एम. हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

भगवान दास पुत्र हुणताराम जाति बैरागी निवासी हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के **समस्त** वारिसान देवीलाल, ओमप्रकाश, राजाराम, काशीराम, बलराम, रामदास (पुत्रगण) विमला, शान्ति, कुन्ता, कान्ता, अमरावती (पुत्रीया)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30.05.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण गणेशदास, मलदास एवं रामदयाल के अधिवक्ता श्री हरजीत सिंह जोली एवं अप्रार्थी देवीलाल पुत्र भगवानदस के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवालोकन से पाया गया कि हस्तगत प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 26.07.2023 द्वारा इस न्यायालय को रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एसबी रिट पैटीशन संख्या 10960 / 2020 प्रार्थी भगवान दास ने अप्रार्थीगण गणेशदास, रामदयाल एवं मलदास के विरूद्ध पेश की गई थी एवं एसबी रिट पैटीशन संख्या 10133 / 2020 प्रार्थीगण चंदूराम, मूल दास, नथूदास, मल दास एवं रामप्रताप ने अप्रार्थीगण भगवान दास वगै. के विरूद्ध प्रस्तुत की थी। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया था इसलिए प्रार्थी गणेशदास वगैरह को प्रार्थी के रूप में दर्ज किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:36:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त प्रकरण में प्रार्थी/अप्रार्थी भगवान दास की दिनांक 09.03.2022 को हो चुकी है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रार्थी/अप्रार्थी भगवान दास के वारिसों पर रिकॉर्ड पर लिया जा चुका है। भगवान दास के वारिसों एवं प्रार्थी गणेशदास वगै. को अद्योहस्ताक्षर के न्यायालय में उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया था, जिसकी पालना में प्रार्थी गणेशदास द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थीगण गणेशदास के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण की भूमि चक 1 बीपीएसएम–बी तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 173/37, 173/38, 173/45 व 173/46 की सिंचाई के लिए अधीक्षण अभियंता सीएडी, ओएफडी वृत, इ.गा.न.प. बीकानेर के पत्रांक 6729–32 दिलांक 16.12.1994 के द्वारा स्वीकृति के अनुसार भूमि चक 1 बीपीएसएम–बी से पानी देने के लिए तकनीकी दृष्टि से उचित खाल प.नं. 173/54 व 173/46 प्रत्येक के किला नं. 1 ता 5 में बनाने का मार्गदर्शन अधिशाषी अभियंता, अनूपगढ़ शाखा जल संसाधन खण्ड प्रथम श्रीविजयनगर के आदेश क्रमांक 5614–18 दिनांक 05.03.2020 जारी किए तथा अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत, श्रीविजयनगर ने अपने आदेश क्रमांक 1308 दिनांक 26.08.2020 से बहाल रखे, अपील खारिज की।

उनका आगे यह भी कथन है कि जमाबंदी सम्वत् 2042 के अनुसार पत्थर नम्बर 173/54 के किला नं. 1 ता 5 में दो दो बिस्वा खाल की भूमि छोड़कर ही भगवान दास पुत्र हणता दास को [illegible] की गई क्योंकि भगवान दास इस खाल की भूमि पर अतिक्रमी [illegible] जिसने बाद में अनैतिक व गैरकानूनी ढंग से प.नं. 173/54 में खाल [illegible] विवरण छिपाकर पूरी भूमि अपने नाम से दर्ज करवा ली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:36:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि भगवान दास के द्वारा अधिशाषी अभियंता अनूपगढ़ शाखा जल संसाधन खण्ड प्रथम श्रीविजयनगर व अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत, श्रीविजयनगर के खिलाफ रिट याचिका 10960/2020 माननीय उच्च न्यायालय में पेश की। इस समय में रिट दायरकर्त्ता भगवान दास का स्वर्गवास हो गया तथा भगवान दास के वारिसान पत्रावली पर लिए गए। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.07.2023 को निर्णय करते हुए दोनों पक्षों को आपके समक्ष उपस्थित होने के लिए पाबंद करते हुए आपको एक माह में प्रकरण का निस्तारण करने के आदेश दिए गए।

उनका आगे यह भी कथन है कि स्वयं पैटीशनकर्त्ता (विधिक वारिस) आपके समक्ष निर्धारित अवधि में हाजिर ना होकर अप्रार्थीयान को मिलने वाले पानी से वंचित रखकर नुकसान पहुंचाने में सफल हो रहे है। अप्रार्थीयान के बार बार निवेदन पर आपके द्वारा जमाबंदी में अंकित खातेदार के नाम से नोटिस जारी किए है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित समय में आपके समक्ष उपस्थित नहीं हुए है, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के रिट पैटीशन संख्या 10960/2020 के तहत आपके समक्ष राजस्थान जल सिंचन एवं निकास अधिनियम, 1954 की धारा 24 के पैटीशनर भगवानदास के वारिसों द्वारा समर्थन ना होने तथा स्वयं पर उपस्थित ना होने के कारण निष्क्रिय किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:36:07 IST
Reason: SetAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार नोटिस जारी किए है, अवगत है। प्रार्थी स्वयं रिकॉर्ड में भगवान दास का नाम रखे हुए है, इसलिए इनको भगवान दास की ओर से कार्यवाही का अधिकार नहीं किया जा सकता।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रकरण किसी प्रकार से रा.ज.सि. नि. अधिनियम, 1954 की धारा 24 का नहीं बनता है क्योंकि इस प्रकरण में किसी प्रकार की भूमि अवाप्ति का मामला नही है तथा अधिशाषी अभियंता व अधीक्षण अभियंता द्वारा कोई नया आदेश ना दिया जाकर पूर्व स्वीकृत स्कीम का हवाला दिया है। प्रकरण में पत्थर नम्बर 173/54 के किला नं. 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक के 2–2 बिस्वा पर भगवान दास या उसके वारिसान का कोई हक नहीं है। अप्रार्थीयान की प.नं. 173/37, 173/38, 173/45 व 173/46 जलमार्ग के अभाव में कमाण्ड भूमि सिंचाई से वंचित है, जिससे अप्रार्थीयान को पूरा ना होने वाल नुकसान हो रहा है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से राजस्थान जल सिंचन निकाय अधिनियम, 1954 की धारा 24 की पैटीशन के रूप में Exist कर रही है, को निरस्त कर अधिशाषी अभियंता /अधीक्षण अभियंता, श्रीविजयनगर के आदेशानुसार जलमार्ग चालू करवाये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्राथी देवीलाल पुत्र भगवान दास के विद्वान अधिवता श्री विक्रम बिश्नोई ने उपस्थित होकर कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के प्रकरण संख्या 10960/2020, अनवानी भगवानदास बनाम स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2023 की पालना में प्रार्थी के पिता भगवानदास को जारी किया गया हैं भगवानदास का देहान्त दिनांक 09.03.2022 को हो चुका है।

उनका आगे यह भी कथन है कि चक 1 बी.पी.एस.एम. पटवार हल्का, हरदासवाली तहसील [illegible] के खसरा नं. 55/45 के पत्थर नं. 173/45 के मुरब्बा नं. 20 पत्थर नं. 173/[illegible] के मुरब्बा नं. 44 व पत्थर नं. 173/54 के मुरब्बा नं. 42 की कुल [illegible] हैक्टेयर भूमि भगवानदास के नाम दर्ज है। भगवानदास का देहान्त होने से भगवानदास की भूमि उसके समस्त वारिस देवीलाल, ओम प्रकाश, राजाराम, काशीराम, बलराम, रामदास (पुत्रगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:36:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

विमला, शान्ति, कुन्ता, कान्ता, अमरावती (पुत्रीयां) को प्राप्त हुई हैं इसप्रकार पत्थर नं. 173/54, 173/46 की उक्त भूमि वारिसान का विरास्तन प्राप्त होने से सभी वारिसान का भूमि में हक व हिस्सा है और प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। समस्त वारिसान को पक्षकार न बनाने से प्रकरण चलने योग्य नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि पत्थर नं. 173/46 के किला नं. 4, 5 व पत्थर नं. 173/54 के किला नं. 1 ता 5 की भूमि में विधि–विरूद्ध दर्ज खाल को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 08.12.1995 से दुरूस्त कर दिया था और पत्थर नं. 173/46 के किला नं. 4, 5 व पत्थर नं. 173/54 के किला नं. 1 ता 5 की भूमि के सालम किला को कृषि भूमि घोषित कर दिया था और खातेदारी दर्ज कर दी। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में उक्त आदेश का इंतकाल संख्या 38 से अमल दरामद कर दिया गया और इस आदेश से पत्थर नं. 173/54 के मुरब्बा नं. 43 के किला नं. 1 ता 5 में खाला शब्द हटा दिया गया और कृषि भूमि घोषित कर दिया। राजस्व अधिकारियों की गलती से पत्थर नं. 173/46 के मुरब्बा नं. 44 के किला नं. 4 व 5 में पूर्ववत् खाल चलता रहा, जिसे दुरूसत करवाने हेतु प्रार्थी ने आवेदन प्रस्तुत कर रखा है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी के पिता भगवान दास ने उसकी भूमि के पत्थर नं. 173/45, 173/46, 173/54 में अधिशाषी अभियंता, सूरतगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि पर कोई खाल स्वीकृत नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:36:07 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि अधिशाषी अभियंता श्रीविजयनगर एवं अधीक्षण अभियंता, श्रीविजयनगर द्वारा पत्थर नं. 173/37 व 173/38 व 173/46 की भूमि के लिए विधि विरूद्ध प्रार्थी की भूमि में से खाल स्वीकृत किया था, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। प्रार्थी

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

की भूमि पत्थर नं. 173/54 के किला नं. 5 में ट्यूबवैल बना हुआ है। किला नं. 3 में 20 वर्ष पुरानी ढाणी बनी हुई है, जिसमें विद्युत कनैक्शन लिया हुआ है। प्रार्थीगण खाला की आड़ मे ढाणी व ट्यूबवैल को नष्ट करना चाहते है। ऐसी सूरत में दूसरे विकल्प पत्थर नं. 173/36 व 173/37 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 से खाला स्वीकृत होने से यही खाला बनाया जाना उचित है और इससे प्रार्थी की भूमि में बनी ढाणी ट्यूबवैल नष्ट भी नहीं होगा।

उनका आगे यह भी कथन है कि माननीय न्यायालय द्वारा अधिशाषी अभियंता व तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ से केवल एक विकल्प पर रिपोर्ट मांगी गई है। गणेशदास की भूमि के लिए अन्य विकल्प मौजूद होने से अन्य विकल्प पर रिपोर्ट मांगी जानी आवश्यक है और सी.ए.डी. विभाग से उक्त भूमि के लिए पूर्व में पक्के खाला निर्माण किया कि रिपोर्ट 1 बी.पी.एस.एम.—ए का नक्शा संलग्न है, बी का नक्शा मंगवाया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना आवश्यक हैं।

उनका आगे यह भी कथन है कि चक 1 बी.पी.एस.एम. को ए व बी दो भागों में विभक्त किया गया और खाला निर्माण के लिए कमेटी बनायी गई और अप्रार्थी मालदास वगै. कमेटी के सदस्य बने और पत्थर नं. 173/36 व 173/37 के किला नं. 5,6,15,16,25 में से खाल बनाने पर सहमत हुए और पत्थर नं. 173/37 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में से मिट्टी भरकर खाला बनाना शुरू कर दिया था, इससे स्पष्ट है कि पत्थर नं. 173/36 व 173/37 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 पर खाल बनाया जाना सर्वोतम सिंचाई के लिए उचित है। इसलिए उनके अधिवक्ता ने पत्थर नं. 173/36 व 173/37 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में खाला स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:36:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैंने, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है:

चक 1 बीपीएसएम 30 मुरब्बों एवं जलमार्ग की लम्बाई 3746 मीटर (2.5 मील) नहर की आरडी 3 से सिंचित था। जलमार्ग की लम्बाई अधिक होने के कारण चक में सिंचाई कम होती थी। काश्तकारों की मांग पर अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत श्रीविजयनगर द्वारा जल निकास अधिनियम 1955 की धारा 31(9घ) के तहत जलमार्ग की लम्बाई 1 मील से अधिक होने के कारण इनके पत्रांक 16859 दिनांक 10.12.1986 के द्वारा 2 चक 1 बीपीएसएम ए व 1 बीपीएसएम बी बनाकर पी–फार्म स्वीकृत कर नक्शा प्रस्तावित किया गया था। इस पुराने नक्शे के अनुसार चक 1 बीपीएसएम बी जलमार्ग मुरब्बा नम्बर 173/51 नहर की आरडी 8 आउटलेट से मुरब्बा नम्बर 173/52 के किला नम्बर 5–6–15–16–25, मुरब्बा नम्बर 173/53 के किला नम्बर 5–6–15–16–25, मुरब्बा नम्बर 173/54 के किला नम्बर 1 ता 5, मुरब्बा नम्बर 173/46 के किला नम्बर 1 ता 5 में जलमार्ग आता है। इस मुरब्बा नम्बर 173/46 के किला नम्बर 1 ता 5 में जलमार्ग राजस्व जमाबन्दी में दर्ज है। चक 1 बीपीएसएम के काश्तकारों के प्रार्थना पत्र पेश किया था कि उनकी भूमि पत्थर नम्बर 173/37, 173/45, 173/46 को कुतरी जलमार्ग से पानी की बारी लग रही है। उक्त कुतरी जलमार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसलिए काश्ताकारों द्वारा पानी की मांग करने पर राजस्थान सिंचाई जल निकास अधिनियम 1954 की धारा 6 21 22 एवं 1955 की धारा 55 के प्रदत्त शक्तियों के तहत चक 1 बीपीएसएम का जलमार्ग स्वीकृति हेतु नोटिस दिनांक 10.01.2020 को जारी किया गया। नोटिस तामील के उपरान्त चक के 90 प्रतिशत – 36 काश्तकारों की सहमति प्राप्त हुई। सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड श्रीविजयनगर ने अपने पत्रांक 1194 दिनांक 11.02.2020 एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट चक प्लान

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:36:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

नक्शा सहित तैयार कर प्रस्तुत किया गया। सहायक अभियन्ता की सर्वे रिपोर्ट अनुसार उक्त मुरब्बें 173/37, 173/45, 173/46 की सिंचाई के लिए 2 विकल्प बताए गए।

प्रथम विकल्प के अनुसार मुरब्बा नम्बर 173/44 के किला नम्बर 1 ता 5 पत्थर नम्बर 173/36 किला नम्बर 5–6–15–16–25, 173/37 के किला नम्बर –5–6–15–16–25 में 3 मुरब्बा लम्बाई का जलमार्ग जिसमें मुरब्बा नम्बर 173/44, 173/36 में 10711 फीट की फीलिंग (बंधाई) व सेमग्रस्त होने के कारण Feasible नहीं बताया गया।

द्वितीय विकल्प के अनुसार मुरब्बा नम्बर 173/53 के किला नम्बर 25 तक पक्का निर्मित जलमार्ग मुरब्बा नम्बर 173/54 के किला नम्बर 1 ता 5 मुरब्बा नम्बर 173/46 कुल 2 मुरब्बा में जलमार्ग स्वीकृति हेतु अनुशंषा कर उचित बताया गया। सहायक अभियन्ता व हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट में मुरब्बा नम्बर 173/54 में ढाणी निर्मित नही थी एवं ट्यूबवेल अनुपयोगी कुआं 10–11 फीट दूर था। मुरब्बा नम्बर 173/46 के किला नम्बर 1 ता 5 में जलमार्ग राजस्व जमाबन्दी में दर्ज होना बताया गया है।

प्रार्थी गणेशदास वगै. द्वारा अधिशाषी अभियंता, अनूपगढ़ शाखा जल संसाधन खण्ड–प्रथम, श्रीविजयनगर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उनके मुरम्बा नम्बर 173/37, 173/38, 173/45, 173/46 के लिए सिंचाई खाला नही है। जिस पर अधिशाषी अभियंता, अनूपगढ शाखा जल संसाधन खण्ड प्रथम श्रीविजयनगर द्वारा उक्त [illegible] के प्रभावित काश्तकारों की सुनवाई कर, दिनांक 05.03.202[illegible] [illegible] किया गया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:36:07 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रकरण को [illegible] एवं स्वयं अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा मौका निरीक्षण करने व संबंधित सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड, श्रीविजयनगर व हल्का पटवारी की जांच

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

रिपोर्ट व प्रभावित कृषकों की सहमति एवं लगभग खाले का विवाद 20–25 वर्ष पुराना होने एवं सिंचाई में बाधा उत्पन्न होने, सीएडी विभाग बीकानेर के उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर विधिसम्मत नोटिस की कार्यवाही पूरी करने पर एवं प्रथम विकल्प मुरब्बा नम्बर 173/36 के किला नम्बर 5–6–15–16–25 मुरब्बा नम्बर 173/37 के किला नम्बर 5–6–15–16–25 इस अनुसार खाला बनाने पर लगभग 10–11 फीट की बन्धाई होने पर तकनीकी दृष्टि से यहां खाला निकाला जाना संभव नहीं होने के कारण कृषकों की उचित मांग अच्छी सिंचाई सुविधा के मध्यनजर रखते हुए विकल्प द्वितीय मुरब्बा नम्बर 173/54 के किला नम्बर 1 ता 5, मुरब्बा नम्बर 173/46 के किला नम्बर 1 ता 5 तक (खाला राजस्व जमाबन्दी में दर्ज) एवं मुरब्बा नम्बर 173/44 के किला नम्बर 1 ता 5 में डबल नाका मुरब्बा नम्बर 173/46 के किला नम्बर 5 में डबल नाका, मुरब्बा नम्बर 173/38 मे डबल नाका को संबंधित कृषकों द्वारा स्वयं खर्चा वहन किया जावेगा का निर्णय लेकर चक प्लान नक्शा व सीसीए स्टेटमेंट जारी किया जाता है। खाला/नक्का/बारी बनाने का कार्य 15 अप्रैल 2020 के बाद किया जावे। बीच फसल में न किया जावे। यह निर्णय आदेश दिनांक 05.03.2020 से लागू किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:36:07 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
अधिशाषी अभियंता
अनूपगढ शाखा जल संसाधन
खण्ड–प्रथम श्री विजयनगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अधिशाषी अभियंता के उक्त आदेश दिनांक 05.03.2020 की अप्रसन्नता से प्रार्थी भगवान दास ने अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत श्रीविजयनगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत श्रीविजयनगर ने दिनांक 26.08.2020 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया :

इस प्रकार पत्रावली का गहन अध्ययन व अवलोकन करने पर पाया गया कि चक 1 बीपीएसएम बी के मु.न. 173/37, 173/38, 173/45, 173/46 कुल 4 मुरब्बों की सिंचाई सुविधा के लिए प्रथम विकल्प 173/52 के निर्मित पक्का खाला से मु.नं. 173/44 के किला नं. 1 ता 5, मु.नं. 173/36 के किला नं. 5,6,15,16,25, मु.नं. 173/37 के किला नं. 5,6,15,16,25 तक तीन मुरब्बा लम्बाई 2475 फिट आयेगी साथ में मु.नं. 173/44 के किला नं. 1 में डबल नाका पर 544.50 एफ.एस.एल. व मु.नं. 173/36 के किला नं. 5,6,15,16,25 में लगभग 10—11 फिट की (फाल) फिलिंग होने के कारण तकनीकी दृष्टि से Feasible नहीं होने पर यहां से खाला दिया जाना उचित नहीं है। द्वितीय विकल्प में मु.नं. 173/52 से 173/53 तक पक्का खाला निर्मित है। मु.नं. 173/53 के चतुर्थ नाका पर एफ.एस.एल. 540.80 फिट है यहां से मु.नं. 173/54 के किला नं. 1 ता 5 तक के किला नं. 1 पर नाका का एफ.एस.एल. 540.60 व मु.नं. 173/46 के किला नं. 1 ता 5 में किला नं. 1 पर नाका का एफ.एस.एल. 540.40 आता है इस प्रकार द्वितीय विकल्प तकनीकी दृष्टि से उचित है। अधिशाषी अभियन्ता द्वारा विधि प्रक्रिया अपनाकर तकनीकी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए खाला स्वीकृत किया गया है, जो उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:36:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन अ.शा. खण्ड प्रथम श्रीविजयनगर के आदेश क्रमांक/राजस्व/5614—18 दिनांक 05.03.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए (मु.नं. 173/54 के किला नं. 3 में आम रास्ता व ढाणी के मध्य से खाला की मिनिमम आवश्यकता के अनुसार जगह लेते हुए) निर्णय बहाल रखा जाता है एवं स्थगन आदेश व अपील अपीलांट के स्वयं के हर्जा खर्चा पर खारिज की जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक 26.08.2020 को मेरे द्वारा अपने स्वयं विवेकानुसार लिखवाया जाकर सरेआम खुले न्यायालय में सुनाया गया।

-sd-
अधीक्षण अभियंता
जल संसाधन वृत श्रीविजयनगर

अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत, श्रीविजयनगर के उक्त आदेश के विरूद्ध भगवान दास ने अप्रार्थीगण गणेश दास, राम दयाल एवं मल दास के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रकरण संख्या 10960/2020 पेश किया था एवं चंदू राम, मूल दास, नथू दास, मलदास एवं रामप्रताप ने अप्रार्थी भगवादास के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रकरण संख्या 10133/2020 पेश किया गया था, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने उक्त दोनों प्रकरणों में एक ही निर्णय दिनांक 26.07.2023 से उभयपक्ष के पक्षकारों को इस न्यायालय उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया था तथा अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता [illegible] एक माह में निस्तारण हेतु रिमाण्ड किया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:36:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी गणेशदास द्वारा प्रार्थना पत्र [illegible]तुत करने पर अप्रार्थी को तलब किया गया। मौका स्थिति की रिपोर्ट एवं रिकॉर्ड तलब कर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थी भगवानदास को देहान्त होने से भगवानदास की भूमि भगवानदास के समस्त वारिस देवीलाल, ओम प्रकाश, राजाराम, काशीराम, बलराम, रामदास (पुत्रगण) विमला, शान्ति, कुन्ता, कान्ता, अमरावती (पुत्रीयां) को प्राप्त हुई है। इसलिए उक्त भूमि में समस्त वारिसान का हक व हिस्सा है और प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने के कारण समस्त वारिसान को तलब किया जाना आवश्यक था। **माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 26.07.2023 के पृष्ठ संख्या 03 के पैरा–1 निम्नानुसार अंकित है:**

> **Application bearing IA No. 02/2023 has been filed for taking LRs of the sole petitioner Bhagwan Das on record. The application is allowed. Amended cause title is also taken on record.**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के उक्त आदेश से स्पष्ट है कि अप्रार्थी भगवान दास की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया था और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने अपने आदेश में पृष्ठ संख्या 4 के पैरा संख्या–2 में उभयपक्षकारों को अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसमें भगवान दास के पुत्र देवीलाल के अतिरिक्त अन्य कोई वारिस उपस्थित नहीं हुआ है **इसलिए भगवान दास के शेष वारिसान ओम प्रकाश, राजाराम, काशीराम, बलराम, रामदास (पुत्रगण) विमला, शान्ति, कुन्ता, कान्ता, अमरावती (पुत्रीयां) के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है और अप्रार्थी का समस्त वारिसान को तलब किया जाने का बिन्दु खारिज किया जाता है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:36:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि माननीय न्यायालय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता व तहसीलदार राजस्व, सूरतगढ़ से केवल एक विकल्प पर रिपोर्ट मांगी गई है, जबकि इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ एवं अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन वृत श्रीविजयनगर से संयुक्त रूप से मौका स्थिति एवं वस्तु स्थिति की रिपोर्ट चाही गई थी, न की किसी एक विकल्प की। **इसलिए अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा केवल एक विकल्प की रिपोर्ट मांगी गई है, का बिन्दु कतई उचित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।**

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधिशाषी अभियंता, श्रीविजयनगर व अधीक्षण अभियंता, श्रीविजयनगर के पत्थर नं. 173/37 व 173/38 व 173/46 की भूमि के लिए विधि विरूद्ध प्रार्थी की भूमि में से खाल स्वीकृत किया था जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया। ऐसी सूरत में पत्थर नं. 173/36 व 173/37 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 से खाला स्वीकृत होने से यही खाला बनाया जाना उचित है और इससे प्रार्थी की भूमि पर बनी ढाणी, ट्यूबवैल नष्ट नहीं होगा जबकि अप्रार्थी के अधिवक्ता ने स्वयं माना है कि **उक्त पत्थर नं. 173/36 व 173/37 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में पूर्व में सेम होना अंकित किया है और अधिशाषी अभियंता, अनूपगढ शाखा जल संसाधन खण्ड प्रथम श्रीविजयनगर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में उपलब्ध तथ्यात्मक प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 3 के पैरा –8 में निम्नानुसार अंकित किया है:**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:36:07 IST
Reason: SelfAttested

> "प्रथम विकल्प नम्बर 1 अनुसार [illegible] 173/44 के किला नम्बर 1 ता 5 पत्थर [illegible] 173/36 किला नम्बर 5–6–15–16–25, मुरब्बा नम्बर 173/37 के किला नम्बर 5–6–15–16–25 में 3 मुरब्बा लम्बाई का जलमार्ग जिसमें मुरब्बा नम्बर 173/44, 173/36 में 10–11 फीट की फीलिंग (बंधाई) व सेमग्रस्त होने के कारण Feasible नहीं बताया गया है,

उक्त पैरा से स्पष्ट है कि अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विकल्प उसके स्वयं द्वारा पूर्व में सेम होना एवं सिंचाई विभाग द्वारा भी Feasible नहीं बताया गया है। साथ अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस के पृष्ठ संख्या 02 के बिन्दु संख्या 2 में अंकित किया है कि पत्थर नं. 173/46 के मुरब्बा नं. 44 के किला नं. 4 व 5 में पूर्ववत् खाल चलता रहा, जिसे दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने आवेदन प्रस्तुत कर रखा है और अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन अनूपगढ शाखा खण्ड प्रथम, श्रीविजयनगर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के तथ्यात्मक रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 3 के पैरा संख्या –5 में अंकित किया है कि मुरब्बा नम्बर 173/46 के किला नम्बर 1 ता 5 में जलमार्ग जमाबन्दी में दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि मुरब्बा नम्बर 173/46 के किला नम्बर 1 ता 5 में पूर्व में जलमार्ग स्वीकृत है। इसलिए अप्रार्थी भगवान दास के पुत्र देवीलाल की ओर से प्रस्तुत विकल्प मान्य नहीं हो सकता है।

अधिशाषी अभियंता अनूपगढ़ शाखा जल संसाधन खण्ड प्रथम श्रीविजयनगर द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा चक 1 बीपीएसएम''बी'' के मुरब्बा नम्बर 173/54 व 173/46 में ट्यूबवैल, तूड़ी का कूप, ढाणी, पशुओं का छपरा आदि होना अंकित किया है परन्तु मुरब्बा नम्बर 173/37, 173/38, 173/45 एवं 173/46 तक पानी पहुंचाना आवश्यक है। इसलिए अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत श्रीविजयनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.08.2020 उचित प्रतीत होता है। इसलिए अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत श्रीविजयनगर द्वारा मुरब्बा नं. 173/54 के किला नं. 1 ता 5 एवं मु. नं. 173/46 के किला नं. 1 ता 5 में खाल स्वीकृत किया गया है, जो उचित है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:36:07 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार प्रकरण निस्तारित किया जाता है। प्रकरण में अन्य कोई प्रार्थना पत्र विचाराधीन हो तो उसे भी उक्त विवेचन अनुसार निस्तारित किया जाता है। अधिशाषी अभियंता, अनूपगढ शाखा जल संसाधन खण्ड प्रथम, श्रीविजयनगर एवं अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन वृत श्रीविजयनगर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकबंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:36:07 IST
Reason: SelfAttested